

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0 ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक:- 200/दो-06-89/19

शिवपुरी,दिनांक- 07/06/2021

श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी का दिनांक 01.05.21 से 13.05.21 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30.04.21 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 17.05.21 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दयालसिंह सूर्यवंशी को पुनः प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री दयालसिंह सूर्यवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी के पद पर कार्यरत रहते।

श्री सूर्यवंशी के अर्जित अवकाश लेखा में 41 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठां.क्रमांक B/1594 /दो-06-89/19

शिवपुरी,दिनांक- 07/06/2021

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी।
- 2- लेखापाल/सांख्यिकी लिपिक जिला मुख्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वास्ते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म0प्र0।